


1

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.यू. / मु.प्र. / 2014 **निविदा सूचना** दिनांक 05-06-14

विश्वविद्यालय परिसर स्थित पुरुष छात्रावास में संचालन हेतु मुहरबन्द निविदाये दिनांक 18.06.2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक सम्पत्ति अधिकारी के कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जा सकती है, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे समाकक्ष में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर से प्राप्त करके अथवा वि०वि० की वेबसाइट से डाउनलोड कर रु. 200.00 का बैंकड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.यू. कानपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण वि०वि० की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org पर उपलब्ध है। (कुलसचिव)


कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No. CSJMU/DR(P&P)/ 214 /2014

Dated : 05-06-2014

मूल्य रु0 200.00(दो सौ मात्र)

पुरुष छात्रावास में मेस संचालन हेतु निविदा-प्रपत्र

विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पुरुष छात्रावास की मेस को ठेके पर चलाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक: 18/06/14 को अपराह्न 2.00 बजे तक, जिन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में मेस चलाने का अनुभव हो, उनसे मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। जो कि उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित/अनुपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर "पुरुष छात्रावास की मेस संचालन हेतु निविदा" लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित धनराशि रु0 200/- जमा कर वि0वि0 के कैश काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा पत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रु0 50000/- मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में कानपुर में देय हो, के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा। अपेक्षित नियम एवं शर्तें निविदा-पत्र के साथ संलग्न हैं। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

निविदा – प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

- आवेदक का नाम :
- पिता का नाम :
- पता :
- ट्रेड टैक्स नं0. : वैधता की अवधि :
- टैन नं0 :
- खाद्य विभाग का पंजीकरण नं0 : वैधता की अवधि :
- कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
- निविदा पत्र कय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :
बैंक का नाम ड्राफ्ट सं0 व तिथि धनराशि
बुक सं0 कम सं0 रु0 दिनांक
(एक प्रति संलग्न करें)
- धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :
बैंक का नाम ड्राफ्ट सं0 व तिथि धनराशि
बुक सं0 कम सं0 रु0 दिनांक
(एक प्रति संलग्न करें)
- इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर :
आवेदक का नाम एवं पता :
दूरभाष नं0 :
पैन नं0 :

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

पुरुष छात्रावास में मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पुरुष छात्रावास में मेस संचालन हेतु ₹0 50000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट "वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" के नाम मान्य होगा। प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. "केवल वह ही ठेकेदार निविदा में हिस्सा ले सकेंगे जो कि खाद्य विभाग एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा में विचार करना संभव नहीं होगा।"
3. फर्म को कार्य करने के लिए ₹0 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर विश्वविद्यालय एवं ठेकेदार के बीच एक अनुबन्ध कराया जायेगा।
4. फर्म द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित गुणवत्ता के आधार पर खाना देना होगा। ठेकेदार द्वारा मेस कमेटी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ एवं स्वच्छ सामग्रियों उपलब्ध करायी जायेंगी तथा वार्डन के सुझावों/निर्देशों के अनुसार ठेकेदार सफाई पर विशेष ध्यान देगा तथा इस पर जो व्यय होगा वह फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। संतोषजनक सफाई न होने पर वार्डन/मेस समिति उचित दण्ड की अनुशंसा करेगी।
5. ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन अप्रयुक्त तथा अवशेष भोजन सामग्री का निस्तारण (डिस्पोजल) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के भुगतान से उचित दण्ड की कटौती की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय फर्म को खाना बनाने के लिए रसोई घर के लिए जगह, डाइनिंग हॉल, बिजली एवं पानी की आपूर्ति के साथ उपलब्ध करायेगा। यदि उपलब्ध कराये गयी जगह एवं अन्य किसी सामग्री की टूट-फूट होती है तो वार्डन की संस्तुति के अनुसार दण्डित की गयी धनराशि की कटौती फर्म को दिये जाने वाले भुगतान से कर ली जायेगी।
7. यदि फर्म पानी अथवा बिजली का दुरुपयोग करता है तो उसको वार्डन की संस्तुति पर दण्ड के रूप में 5000/- जुर्माना लगाया जायेगा। वह केवल खाना बनाने अथवा कार्य के समय तक ही उक्त का उपयोग करेगा अन्यथा की स्थिति में फर्म द्वारा उसका अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।
8. छात्रावास की मेस कमेटी ठेकेदार को भोजन हेतु मेन्यू बनाकर उपलब्ध करायेगी। जोकि प्रायः एक महीने के लिए निर्धारित होगा। किंतु मेस कमेटी को यह अधिकार रहेगा कि यदि वह चाहे तो उससे पहले भी मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। मेन्यू का नमूना साथ में संलग्न है।
9. यह ठेका शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए है, जो अगले सत्र के टेण्डर निर्धारण तक मान्य होगा तथा ठेकेदार को इन्हीं शर्तों पर कार्य करने की बाध्यता होगी।
10. ठेकेदार को सर्व करने हेतु 20 छात्रों पर कम से कम एक अटेंडेंट/मेस वर्कर रखना होगा। साथ ही मेस के सुचारु से संचालन हेतु एक मेस मैनेजर, एक कुक तथा एक कुक सहायक भी रखना आवश्यक है। मेस में सिर्फ पुरुष वर्कर होंगे, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष की बीच होनी चाहिए। पुरुष छात्रावास में कोई भी महिला वर्कर से कार्य नहीं लिया जायेगा।
11. ठेकेदार एवं मेस वर्करों का कार्य एवं व्यवहार छात्रों, वार्डन एवं सम्बन्धित कर्मचारियों प्रति संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
12. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो एक सप्ताह की नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त करते हुए जमानत के तौर पर जमा सुरक्षा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री अस्वच्छ एवं असुरक्षित होने तथा मेस समिति द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप न होने की संस्तुति करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा एक सप्ताह की नोटिस के साथ ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। मेस समिति एवं वार्डन द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुति अन्तिम एवं मान्य होगी।
14. वार्डन की अनुमति के बिना किसी छात्र के कमरे में खाद्य एवं अन्य सामग्री नहीं भेजी जायेगी।

15. ठेकेदार द्वारा रसोई घर एवं खाद्य सामग्री की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा प्रयोग में लाये जाने वाले मसाले अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए एवं साफ, ताजा एवं स्वच्छ खाना ही सर्व किया जायेगा। किसी भी प्रकार का पका हुआ खाना सुरक्षित करके नहीं रखा जायेगा और न ही उसको दोबारा खाने में प्रयोग में लाया जायेगा।
16. यदि ठेकेदार मेस समिति अथवा वार्डन के निर्देशों/सुझावों को पालन नहीं करता है तो यह नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए ठेकेदार को आर्थिक रूप से दण्डित भी जायेगा।
17. ठेकेदार द्वारा रसोई घर में लगाये गये वर्कर एवं कुक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उनका जिला अस्पताल से नियमित रूप से चेक-अप कराया जायेगा। यदि कोई भी वर्कर शारीरिक रूप से अवस्वस्थ पाया जाता है तो उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसके स्थान पर कोई अन्य वर्कर को व्यवस्थित ठेकेदार द्वारा तुरन्त की जायेगी।
18. ठेकेदार द्वारा मेस के वर्करों को निर्धारित यूनिफार्म दी जायेगी जो निम्नवत् होगी :-
 - (क) मेस के वर्कर हेतु शर्ट एवं ट्राउजर।
 - (ख) खाना बनाने समय कूक के लिए अपरन एवं टोपी।
 - (ग) मेस के मैनेजर एवं सुपरवाइजर हेतु सफेद शर्ट एवं ट्राउजर।
19. संलग्न मेन्यू को सीजनल सब्जियों तथा मार्केट में उपलब्धता के दृष्टिगत मेस समिति एवं वार्डन ठेकेदार के साथ बातचीत कर परिवर्तित किया जा सकता है।
20. छात्रावास में चाय/स्वल्पहार/भोजन आदि देने का समय निम्नवत् होगा :-

| | |
|-------------|-----------------------|
| Break Fast | 08:00 am to 10:00 am |
| Lunch | 12:30 noon to 2:30 pm |
| Evening Tea | 05:00 pm to 6:30 pm |
| Dinner | 08:00 pm to 10:30 pm |

यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समय सारिणी को परिवर्तित करना पड़ा तो उक्त परिवर्तन मेस समिति एवं वार्डन के सुझाव के अनुसार होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।

21. छात्रावास में बीमार पड़ने वाले छात्र के लिए मेस ठेकेदार "सिक डाइट" उनके कक्ष में उपलब्ध करायेगा। यदि बीमार छात्र विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती है तो भोजन स्वास्थ्य केन्द्र में पहुँचाना भी ठेकेदार का दायित्व होगा, जिसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। 'सिक डाइट' मेस समिति/चिकित्सक/वार्डन के द्वारा निर्धारित की जायेगी।
22. ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय में एक मुस्त मासिक भुगतान के लिए पत्रावली व्यवहरित की जायेगी, जो कि मेस समिति तथा वार्डन द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत होनी चाहिए।
23. प्रति छात्र हेतु भोजन व्यवस्था से सम्बन्धित प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत यूटिलिटी चार्ज के रूप में मेस ठेकेदार के देयक से कटौती की जायेगी।
24. खाना खिलाने के बर्तनों (थाली, ग्लास, चम्मच आदि) की समुचित मात्रा में व्यवस्था करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
25. प्रत्येक भोजन के बाद मेस एवं बर्तनों को गर्म पानी तथा डिटरजेंट/साबुन से साफ करना अनिवार्य होगा।
26. मेस का भुगतान माह के स्टूडेंट की वास्तविक पंजीकृत संख्या को आधार मानकर प्रत्येक माह की समाप्ति पर किया जायेगा। सत्रान्त पर एक माह का अवकाश रहेगा, जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा। कार्य की अवधि 16 जुलाई 2014 से 15 जून 2015 तक की होगी।
27. ठेकेदार को अपने द्वारा लगाये गये समस्त कर्मचारियों/मेस वर्करों का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वार्डन तथा छात्रावास के आफिस में भी जमा करना होगा।
28. विगत वर्ष की दर रू0 1550.00 प्रति माह प्रति छात्र से कम दरों की निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
29. यदि ठेकेदार द्वारा लगाये गये किसी भी मेस वर्कर/कर्मचारी के साथ दुर्घटना के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे प्रकरण में छात्रावास तथा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
30. मेसे में फूड प्वाइजनिंग सम्बन्धी कोई भी घटना घटती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा मेडिकल ट्रीटमेंट में हुआ खर्च सम्बन्धित मेस ठेकेदार से वसूला जायेगा साथ ही ऐसी घटना हेतु मेस समिति/काउन्सिल ऑफ वार्डन द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना किया जायेगा।
31. ठेकेदार ऐसे कर्मचारी को कार्य करने हेतु नहीं रखेगा जिसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसके विरुद्ध कोई भी पुलिस केस चल रहा हो।

32. मेस में शराब या कोई भी मादक पदार्थ पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा।
33. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम विभाग/शासन के नियमों का पालन करना होगा। यदि उक्त हेतु कोई भी आपत्ति श्रम विभाग/शासन से उठायी जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
34. नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु ठेकेदार को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
35. विश्वविद्यालय को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी निविदा अथवा निविदाओं को बिना किसी कारण के किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
36. किसी भी दशा में उक्त ठेका किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
37. प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री ब्रॉण्डेड एच गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं :-
- (1) मक्खन (अमूल/मदर डेरी/पराग)।
 - (2) जैम (किसान/टॉप्स/सफल)।
 - (3) रिफाइन्ड तेल (धारा/सनड्रॉप/डालडा और अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों)
 - (4) चावल अच्छी गुणवत्ता वाला बासमती जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
 - (5) गेहूं का आटा जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
 - (6) कॉफी (नेसकॉफे/बू)।
 - (7) चाय ब्राण्डेड होनी चाहिए जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
 - (8) केचअप तथा अचार (टॉप्स/किसान)।
 - (9) दूध (पराग/अमूल/नमस्ते इण्डिया)
 - (10) आयोडीनयुक्त नमक तथा मसाला (एम0डी0एच0/गोल्डी/एवरेस्ट)।
 - (11) बेसन (राजधानी/शक्तिभोग) तथा अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों।
 - (12) यदि उपर्युक्त दिये गये ब्राण्ड समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उसकी जगह कौन सा ब्राण्ड प्रयोग में लाया जायेगा यह मेस समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
38. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संदर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
39. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
40. ठेके पर निर्धारित समय के मध्य विचलन/छोड़ने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
41. पुरुष छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या लगभग 350 है, जो समय-समय पर परिवर्तनीय है।
42. संलग्न मेन्यू के अनुसार, फर्म अपने लेटर पैड पर भोजन इत्यादि की मासिक दरें (समस्त करों सहित) सील्ड लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
मो 0 नं०-

सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की तालिका

| दिन | ब्रेकफास्ट | लंच | इवनिंग टी | डिनर |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| प्रति दिन | चाय | रोटी, चावल, सलाद | चाय | रोटी, चावल, सलाद |
| सोमवार | पोहा (प्याज, टमाटर, नींबू युक्त) +सूजी हलवा+चाय | राजमा + सीजनल सब्जी | प्याज की पकौड़ी | मिक्स दाल, सीजनल सब्जी |
| मंगलवार | ब्रेड मक्खन+हलुआ | दाल + सीजनल सब्जी | समोसा 02 पीस | आलू टमाटर, दाल +खीर या स्वीट |
| बुधवार | पूड़ी+आलू टमाटर की सब्जी | दाल मखानी + सीजनल सब्जी | बिस्कुट 04 पीस (बटर बाइट) | पनीर + सीजनल सब्जी |
| गुरुवार | आलू बण्डा 04 पीस + 04 स्लाइस ब्रेड चटनी सहित | कढ़ी पकौड़ी + आलू जीरा | नमकपारा | दम आलू + सीजनल सब्जी |
| शुक्रवार | मसाला पूड़ी सब्जी अचार | दाल फ्राई + सीजनल सब्जी | जीरा 02 पीस | छोला भटूरा, रायता, अचार + गुलाब जामुन |
| शनिवार | आलू की कचौड़ी, रायता, चटनी, अचार | पंचमील दाल + सीजनल सब्जी | प्याज पकौड़ी चटनी | दाल + सीजनल सब्जी |
| रविवार | सांभर बड़ा | पूड़ी, पनीर की सब्जी सीजनल सब्जी | आलू पकौड़ी, चटनी | पनीर/बेबी कॉर्न पाब्रक/मिक्स वेज/स्वीट बटर रोटी |